प्रेषक

निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय एवं अग्निशमन सेवाएं, हरियाणा,
बेज न0–11–14, सैक्टर–4, पंचकूला।

सेवा में

1. सभी आयुक्त, नगर निगम, हरियाणा राज्य।
2. सभी उपायुक्त, हरियाणा राज्य।
3. कार्यकारी अधिकारी/सचिव, सभी नगर परिषदें/नगर पालिकाएं, हरियाणा राज्य।

यादि क्रमांकःनि.अ.से./एफ.ए.–2016/ 74909–999
दिनांकः 14/10/16

विषयः– **दीपावली के शुभ अवसर पर आतिशबाजी, पटाखों की बिक्री के समय बरती जाने वाली सावधानियां।**

....

1. उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

2. इस सम्बन्ध में उल्लेखित है कि दीपावली के शुभ अवसर पर जनता द्वारा अधिक मात्रा में आतिशबाजी एवं पटाखों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए आग लगने का भय लगा रहता है। आग से बचने के लिए सावधानियां बरती जानी अति आवश्यक हैं। अतः दीपावली के अवसर पर सभी प्रकार की अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए निम्न प्रकार से हिदायतें दी जाती हैं:–

1) सभी पालिकाएं अपने–अपने दमकल केन्द्र अधिकारियों/इन्चार्ज को आवश्यक निर्देश दें कि वह अपनी दमकल गाड़ियों को पूर्ण रूप से ठीक रखें।

2) दीपावली के उपलक्ष को ध्यान में रखते हुए सभी दमकल अधिकारियों/कर्मचारियों का अवकाश रद्द कर दिया जाए अर्थात उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाये।

3) चारों मण्डलों के वरिष्ठ दमकल केन्द्र अधिकारियों को दमकल गाड़ियों का पूर्ण रूप से निरीक्षण करने के लिए नगर परिषद की गाड़ी का प्रयोग करने व लॉग बुक भरने की स्वीकृति दी जाये। सभी अग्निशमन वाहनों का बीमा होना चाहिए तथा तेल की उपलब्धता व कण्डम गाड़ियों का निपटान भी सुनिश्चित किया जाये।

4) आतिशबाजी व पटाखों की दुकानें शहर के बाहर व खुले में लगवाई जायें, एक दुकान से दूसरी दुकान की दूरी कम से कम 3 मीटर की होनी चाहिए तथा प्रत्येक दुकान के सामने दो बाल्टी रेत व उचित मात्रा में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए।

5) अग्निकाण्ड की घटनाओं से बचने के लिए अपने अधीन दमकल केन्द्र अधिकारियों को निर्देश दिये जायें कि वे अग्निशमन सुरक्षा के उपायों का पूर्ण रूप से निरीक्षण करें। ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए उचित प्रबन्ध करवाएं तथा समय–समय पर इसका निरीक्षण करके निरीक्षण रिपोर्ट निदेशालय को भेजी जाये, यदि किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस के सहयोग की आवश्यकता हो तो तालमेल सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त के अतिरिक्त "Explosives Rules,2008" के नियम–84 में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करें, जिसमें निम्न व्यवस्था है:–

84. Temporary shops for possession and sale of fireworks during festivals.— During festivals, the District Magistrate may issue temporary licences for